यू. पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कर्पोरेशन लिमिटेड

बनाम

किसान उपभोक्ता परिषद एवं अन्य

7 दिसंबर, 2007

(ए. के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे. जे.)

कृषि/कृषि उपकरण :

पशु चालित वाहन-खरीद सब्सिडी-का दावा आम बोलचाल में शब्द/अभिव्यक्ति का सामान्य अर्थ तब तक स्वीकार किया जाता है जब तक कि इसे कानून/आदेश में अन्यथा परिभाषित नहीं किया जाता है- लोकप्रिय अर्थ व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ पर हावी हो जाता है। आम बोलचाल में कृषि उपकरण मनुष्य द्वारा उपयोग किए जाने वाले उपकरण हैं जो कि हाथ/पैर/पशु शक्ति द्वारा संचालित है- हालांकि कृषि उपज ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पशु चलित वाहन को सरकारी आदेश के अनुसार खरीद सब्सिडी का दावा करने के लिए कृषि उपकरण नहीं माना जाएगा क्योंकि आम भाषा में इसे लोगों द्वारा कृषि उपकरण नहीं जाना जाएगा।

विधि की व्याख्या - मीमांसा नियम की व्याख्या-

सूत्र - रूडियोंगमपहरति - कृषि यंत्राेें पर क्रय अनुदान (सब्सिडी) पर उत्तर प्रदेश सरकार के आवेदन पर आदेश दिनांक 20.11.1996

शब्द और वाक्यांश - ''पशु चलित वाहन'' कृषि उपकरणों के संदर्भ में इसका अर्थ है।

इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए जो प्रश्न उठा वह यह था कि क्या पशु चलित वाहन, एडीवो गाडियां भी कृषि उपकरण हैं ताकि राज्य सरकार के आदेश दिनांक 20.11.1996 एवं उत्तर प्रदेश के केन आयुक्त द्वारा जारी पत्र दिनांक 05.03.1999 के अनुसार निगम से इसकी खरीद पर सब्सिडी का दावा किया जा सके।

कोर्ट ने अपील खारिज करते हुए यह कहा किः-

1.1 . एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं और कई शब्दों का एक ही अर्थ (पर्यायवाची शब्द) हो सकता है। (पैरा 10, (1117-ए))

1.2 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'इम्पलीमेंट' शब्द के शब्दकोश में कई अर्थ हो सकते हैं। हालांकि, व्याख्या में यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि आम तौर पर सामान्य बोलचाल में शब्द या अभिव्यक्ति का अर्थ सामान्य उपयोग को स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि कानून या आदेश जिसमें इसका उपयोग एक विशिष्ट अर्थ के साथ किया गया है। राज्य सरकार के जी.ओ. दिनांक 20.11.1996 में इम्प्लीमेंट शब्द की कोई परिभाषा नहीं है। (पैरा 11) (1117-सी)

संक्षिप्त अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश, दसवां संस्करण, वेबस्टर व्यापक शब्दकोश, अंतर्राष्ट्रीय संस्करण और उन्नत कानून पी. रामनाथ अय्यर का शब्दकोश, तीसरा संस्करण, 2005 में संदर्भित किया गया।

1.3 . व्याख्या के मीमांसा नियमों में से एक सिद्धांत यह है कि लोकप्रिय अर्थ व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ पर हावी हो जाता है। (पारस 12 और 13) (1117-डी, ई)

के. एल. सरकार द्वारा व्याख्या के मीमांसा नियम, संदर्भित।

1.4 इस सिद्धांत के पीछे कारण यह है कि भाषा मनुष्यों के बीच संचार का एक उपकरण है और इसलिए शब्द को वह अर्थ दिया जाना चाहिए जो लोगों के बीच संचार में मदद करता है। यदि किसी शब्द को बोलने वाला एक अर्थ में उपयोग करता है लेकिन सुनने वाला दूसरे अर्थ में समझता है, तो संचार में अंतराल हो जाएगा। इसलिए उस अर्थ को उस शब्द से जोडा जाना चाहिए जिसे हर कोई समझ सके क्योंकि इसमें आम बोलचाल में विशेष अर्थ प्राप्त कर लिया है। (पैरा 15) (1117-जी- 1118-ए)

1.5 . पशु चालित वाहन को कृषि उपकरण नहीं कहा जा सकता है। स्पष्ट कारणों से कि आम बोलचाल की भाषा में उपकरणों को आमतौर पर मनुष्यों द्वारा अपने हाथों से (कभी-कभी अपने पैरों से) या पशु शक्ति द्वारा संचालित उपकरण के रूप में माना जाता है। इस प्रकार, बैलों या घोडों द्वारा चलाया जाने वाला हल एक कृषि उपकरण माना जाएगा। इसी प्रकार कुदाल कृषि उपकरण होंगे। हालांकि, एक बैलगाडी जिसका उपयोग कृषि उपज को खेत से बाजार या चीनी फैक्टरी ले जाने के लिये किया जाता है को कृषि उपकरण नहीं मान सकते क्योंकि आम भाषा में इसे कृषि उपकरण नहीं माना जाता। (पैरा 16) (1118-बी, सी)

मैसर्स डी. एच. ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड वी. बिक्री कर आयुक्त, उत्तर प्रदेश, ए. आई. आर. (1991) एस. सी. 1992 से संदर्भित।

सम्पादकीय टिप्पणीः न्यायालय ने कहा कि मिमांसा नियम व्याख्या के पारंपरिक सिद्धांत जैमिनी द्वारा निर्धारित किए गए थे जिनके सूत्रों को शबर कुमारिला भट्ट,प्रभाकर आदि द्वारा समझाया गया था। इन मीमांस सिद्धांतों का नियमित रूप से विज्ञानेश्वर (मिताक्षरा के लेखक), जीमूतवाहन (दयाभाग के लेखक), नंद पंडित (दत्तक मीमांसा के लेखक) आदि, द्वारा उपयोग किया जाता था जब भी उन्हें विभिन्न स्मृतियों के बीच कोई विरोधाभास या उनमें कोई अस्पष्टता या असंगति मिली। ऐसा कोई कारण नहीं है कि उचित अवसरों पर न्यायालय द्वारा इन सिद्धांतों का उपयोग न किया जा सके।

बेनी प्रसाद बनाम हरदाई देवी, (1892) आई. एल. आर. 14 ए.एल.एल. 67 (एफ. बी.) और मेसर्स इस्पात इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई, जे. टी. (2006) 12 एस. सी. 379, संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 7285/2001

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 22.2.2000 से, जो कि डब्ल्यू. पी. सं. 23662/1999 में पारित किया गया।

अपीलार्थी की ओर से राजेश।

उत्तरदाताओं के लिए विजय के. जैन।

न्यायालय का निर्णय जस्टिस मार्कंडेय काटजू द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील 1999 की रिट याचिका संख्या 23662 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 22.02.2000 के आक्षेपित फैसले के खिलाफ दायर की गई थी।

2. पक्षों के विद्वान वकील को सुना और रिकाॅर्ड का अवलोकन किया गया।

3. इस अपील में प्रतिवादी, जो गन्ना उत्पादक का संघ है और मेरठ जिले में गन्ना किसानों के हितों की देखभाल करता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में याचिकाकर्ता था। रिट याचिका में आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र के गन्ना उत्पादकों को उपकरणों की और कृषि के लिए अन्य उपकरण की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए यह परिवहन के लिए पशु चालित वाहन (इसके बाद "एडीवी कार्ट" कहा जाएगा) खरीदता है ताकि गन्ने को कृषि क्षेत्रों से चीनी कारखानों एवं अन्य स्थानों पर भी भेजा जा सके। राज्य सरकार समय-समय पर एडीवी कार्ट एवं अन्य कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करती है।

4. ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने दिनांकित आदेश 20.11.1996 जारी किया था यह कहते हुए कि सभी प्रकार के कृषि उपकरण हाथ से संचालित होते हैं। संचालन या पशु शक्ति से यू. पी. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल लिमिटेड से खरीदी जानी चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका में संक्षिप्त प्रश्न यह था कि क्या ए. डी. वी. गाड़ियां कृषि

उपकरण हैं। अगर वे है तब सब्सिडी प्राप्त करने के लिए, केवल निगम से खरीदारी की जानी होगी अन्य दलों से नहीं।

5. केन कमिश्नर, यू. पी. ने दिनांक 5.3.1999 पर एक पत्र जारी किया, जिसकी प्रति इस अपील के लिए अनुलग्नक पी-2 है, जिसमें कहा गया है कि यू. पी. के उपरोक्त सरकारी आदेश दिनांक 20.11.1996 के तहत ए. डी. वी. गाड़ियों को केवल यू. पी. स्टेट एग्रो से इंडस्ट्रियल लिमिटेड से खरीदा जा सकता है। केन आयुक्त का यह आदेश दिनांक 5.3.1999 को रिट याचिका में इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह सरकारी आदेश दिनांक 20.11.1996 के विपरीत है।

6. इस अपील में छोटा सवाल यह है कि क्या एडीवी गाड़ियाँ भी कृषि उपकरण हैं।

7. संक्षिप्त अक्सफोर्ड अंग्रेजी शब्दकोश (दसवां संस्करण। संशोधित) में इम्प्लीमेंट को 'उपयोग किए जाने वाले उपकरण, बर्तन या अन्य उपकरण' के रूप में परिभाषित किया गया है। एक विशेष उद्देश्य के लिए वही शब्दकोश 'टूल' को 'उपकरण', आमतौर पर हाथ से पकड़े हुए, एक विशेष कार्य को पूरा करने के लिए उपयोग किया जाता है' के रूप में परिभाषित करता है।

8. वेबस्टर कम्प्रिहेंसिव डिक्शनरी (इंटरनेशनल एड.) में 'इम्प्लीमेंट' शब्द को "विशेष रूप से कार्य में उपयोग की जाने वाली चीज़" हाथ से किए गए काम में एक बर्तन उपकरण " के रूप में परिभाषित किया है। उसी

शब्दकोश में 'टूल' शब्द को एक हथौड़े के रूप में एक सरल तंत्र आरी, कुदाल या छेनी, जिसका उपयोग मुख्य रूप से सीधे हाथ से काम करने, चलने में किया जाता है, सामग्री को आकार देना या परिवर्तित करना के रूप में परिभाषित किया गया है।

9. पी. रामनाथ अय्यर द्वारा उन्नत कानून शब्दकोश में (तीसरा संस्करण 2005) 'उपकरण' शब्द को "हाथ को अंदर लाने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई चीजें' विशेष रूप से औद्योगिक संचालन में के रूप में इस प्रकार परिभाषित किया गया है।

10. एक शब्द के कई अर्थ हो सकते हैं, और कई शब्द के एक ही अर्थ (पर्यायवाची) हो सकते हैं। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, 'बाॅ' शब्द , इसका अर्थ खेल में उपयोग की जाने वाली गोलाकार वस्तु हो सकता है, या इसका अर्थ नृत्य भी हो सकता है; इसका मतलब अच्छा समय बिताना आदि भी हो सकता है। इसी तरह, कई शब्द हो सकते हैं जिनके समान अर्थ होते हैं जैसे संस्त शब्द 'पंकज', 'जलज', 'कमल', पद्य ',' सरोज ',' सरसीज 'आदि, जिनका अर्थ है कमल'।

11. इसमें कोई संदेह नहीं है कि 'इम्प्लीमेंट' शब्द के कई शब्दकोश अर्थ हो सकते हैं। हालांकि, व्याख्या में यह अच्छी तरह से स्थापित है कि आम तौर पर आम बोलचाल में या आम भाषा में शब्द या अभिव्यक्ति का अर्थ उपयोग के अनुसार स्वीकार किया जाना चाहिए, जब तक कि कानून या आदेश जिसमें इसका उपयोग किसी एक विशिष्ट अर्थ के साथ

परिभाषित न किया गया है। इम्प्लीमेंट शब्द की कोई परिभाषा राज्य सरकार के जी. ओ. दिनांक 20.11.1996 में नहीं है।

12. व्याख्या के मिमांसा नियमों में, जो हमारे स्वदेशी हैं व्याख्या की प्रणाली, सिद्धांतों में से एक यह हैः

"रूढिर्यो गमपहरति

13. उपरोक्त सिद्धांत का अर्थ है '' लोकप्रिय अर्थ व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ पर हावी हो जाता है।

14. उदाहरण के लिए, 'पंकजा' शब्द का शाब्दिक अर्थ है जो कुछ भी मिट्टी में उगाता है। 'पंका शब्द का अर्थ है 'मिट्टी और प्रत्यय 'जा का अर्थ है जिसका जन्म हुआ हो। इसलिए पंकजी शब्द का व्युत्पत्ति संबंधी अर्थ है 'जो मिट्टी में पैदा होता है। इस प्रकार शाब्दिक रूप से कई चीजें जिनका मतलब पंकजा हो सकता है जैसे कि मिट्टी में कीड़े या कीड़े पैदा होते हैं सभी प्रकार की वनस्पति जो मिट्टी में पैदा होती हैं और पाई जाती हैं, आदि। हालांकि, लोकप्रिय उपयोग से 'पंकजा शब्द ने आम बोलचाल में एक विशेष अर्थ यानी ''कमल'' प्राप्त कर लिया है। इससे पता चलता है कि हमें किसी शब्द के शाब्दिक अर्थ की अपेक्षा प्रचलित अर्थ या आम उपयोग में आने वाले अर्थ की प्राथमिकता देनी चाहिए।

15. इस सिद्धांत के पीछे का कारण यह है कि भाषा एक मनुष्यों के बीच संचार, का उपकरण है और इसलिए उस शब्द को वही अर्थ दिया जाना चाहिए जो लोगों के बीच संचार में मदद करता है। किसी शब्द को

बोलने वाला उसे एक अर्थ में प्रयोग करता है लेकिन सुनने वाला उसे दूसरे अर्थ में समझता है इससे संवादहीनता हो जाएगी। इसलिए उस अर्थ को उस शब्द से जोडा जाना चाहिए जिसे हर कोई समझ सके क्योंकि उसने आम बोलचाल में विशेष अर्थ प्राप्त कर लिया है।

16. उपरोक्त सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अब हम विचार कर सकते हैं कि क्या पशु चालित वाहन को कृषि उपकरण कहा जा सकता है। हमारी राय में यह स्पष्ट कारणों से नहीं हो सकता है कि आम बोलचाल में उपकरणों को आमतौर पर मनुष्यों द्वारा उपयोग (अपने हाथों से, और कभी-कभी अपने पैरों से, या पशु शक्ति द्वारा संचालित) किए जाने वाले उपकरण माना जाता है। इस प्रकार, एक हल जो बैलों या घोड़ों द्वारा चलाया जाता है, एक कृषि उपकरण के रूप में माना जाता है। इसी तरह, एक कुदाल या कुदाल कृषि उपकरण होंगे। हालाँकि, एक बैलगाड़ी जिसका उपयोग कृषि उपज को खेत से बाजार या चीनी कारखाने तक ले जाने का है हमारी राय में कृषि उपकरण नहीं माना जा सकता है। क्योंकि आम बोलचाल में इसे लोगों द्वारा एक उपकरण के रूप में नहीं माना जाएगा। बैलगाड़ी निश्चित रूप से एक उपकरण नहीं है, हालांकि वह हल जिसे वह खींचती है (भूमि को खुरचने के लिए) निश्चित रूप से एक उपकरण है और इसलिए, एक कृषि उपकरण है।

17. प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने मैसर्स में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया। डी. एच. ब्रदर्स प्रा. लिमिटेड वी. बिक्री आयुक्त कर, यू.

पी., ए. आई. आर. (1991) एस. सी. 1992, जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि गन्ना क्रशर कृषि उपकरण नहीं हैं। उस निर्णय में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि कृषि कार्य में गन्ना क्रशर का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यह केवल तभी होता है जब कृषि कार्य समाप्त हो जाते हैं और गन्ना की कटाई के बाद गन्ने को गन्ने क्रशर तक ले जाया जाता है फिर गन्ने क्रशर की गतिविधि शुरू होती है। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि वर्तमान मामले में भी ए.डी.वी की गाडियां जो कृषि क्षेत्र से चीनी कारखाने तक गन्ने के परिवहन के लिये उपयोग में की जाती है, कृषि कार्यों के लिये उपयोग में की जाती है, कृषि कार्यों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ए.डी.वी. गाडियां, कृषि कार्यों के समाप्त होने के बाद ही अपनी गतिविधि शुरू करती है।

18. हमारे लिए इस प्रस्तुति से निपटना आवश्यक नहीं है क्योंकि हम पहले यह मान चुके हैं कि ए.डी.वी. गाड़ी एक कृषि उपकरण नहीं है। क्योंकि यह एक उपकरण नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए हम इस अपील में कोई योग्यता नहीं पाते हैं, और इसे तदनुसार खारिज कर दिया जाता है। कोई लागत नहीं ।

19. इस मामले से अलग होने से पहले, हम यह कहना चाहेंगे कि यह बहुत ही खेदजनक है कि हमारे न्यायालयों में, वकील मैक्सवेल और क्रेज को उद्धृत करते हैं लेकिन किसी भी व्याख्या में मिमांसा सिद्धांतों का उल्लेख नहीं करता है। आज हमारे तथाकथित शिक्षित लोग हमारे पूर्वजों

की महान बौद्धिक उपलब्धियों और उनके पास मौजूद बौद्धिक खजाने के बारे में काफी हद तक अनजान हैं। व्याख्या के मीमांसा सिद्धांत उसी बौद्धिक खजाना का हिस्सा हैं। लेकिन यह जानकर दुख होता है कि बेनी प्रसाद बनाम हरदाई देवी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सर जाॅन एज के फैसले में इन सिद्धांतों के संदर्भ के अलावा (1892) आई एल आर 14 सभी 67 (एफ.बी.), हमारे अपने देश में भी इन सिद्धांतों का उपयोग लगभग किसी ने नहीं किया (हममें से एक एम.काटूजजे. द्वारा इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दिये कुछ निर्णय को छोडकर और इस न्यायालय में सी.एम.इस्पात इण्डस्ट्रीज बनाम सीमा शुल्क आयुक्त, मुंबई जेटी(2006)12 एमसी 3791)

20. यह उल्लेख किया जा सकता है कि व्याख्या के मीमांसा नियम व्याख्या के हमारे पारंपरिक सिद्धांत, जैमिनी द्वारा निर्धारित किए गए थे जिनकी सूत्रों की व्याख्या शबर, कुमारिला भट्ट, प्रभाकर आदि ने की थी। इन मिमांसा सिद्धांतों का नियमित रूप से हमारे महान न्यायविदों जैसे कि विज्ञानेश्वर (मिताक्षर के लेखक), जिमुतवाहन (दयाभाग के लेखक) नंद पंडित ('दत्तक मीमांसा के लेखक) आदि द्वारा उपयोग किया जाता था, जब भी उन्हें विभिन्न स्मृतियों के बीच कोई संघर्ष या कोई अस्पष्टता या असंगति मिलती। ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम इन सिद्धांतों का उपयोग उपयुक्त अवसर पर नहीं कर सकते हैं। हालाँकि, यह गहरे अफसोस की बात है कि इन सिद्धांतों का उपयोग हमारे विधि न्यायालयों में शायद ही कभी

किया गया है। हमारे संविधान या किसी अन्य कानून में यह कहीं नहीं उल्लेख किया गया है कि केवल मैक्सवेल के व्याख्या के सिद्धांतों का उपयोग न्यायालय द्वारा किया जाएगा। हम व्याख्या की किसी भी प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं जो हमें किसी कठिनाई को हल करने में मदद करती है। कुछ स्थितियों में मैक्सवेल के सिद्धांत अधिक उपयुक्त होंगे, जबकि अन्य स्थितियों में स्थितियों में मीमांसा के सिद्धांत अधिक उपयुक्त हो सकते हैं।

21. चूँकि हमने इस निर्णय में एक मीमांसा सिद्धांत का उपयोग किया है, हम मिमांसा सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में उल्लेख करना आवश्यक समझा। मीमांसा पर सभी मूल कार्य संस्कृत में है, लेकिन इस विषय पर के.एल. सरकार द्वारा अंग्रेजी में बहुत ही स्पष्ट पुस्तक है जिस ''द मीमांसा रूल्स अफ इंटरफ्रिटेशन'' कहा जाता है एवं इसे टैगोर ला ॅ श्रृंखला में प्रकाशित किया गया है।

याचिका खारिज कर दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अरुण कुमार दूबे (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।